

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1969/पौष 10, 1891

No. 188] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1969/PAUSA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 31st December 1969

G.S.R. 2806.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 3-Customs, dated the 1st January, 1969, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "31st December, 1969", the figures, letters and word "28th February, 1970 shall be substituted.

[No. 164/F.No. 5/102/69-Cus.I.]

J. DATTA, Deputy Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1969

सां. कां. नि. सं. 2806:—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 3—सीमाशुल्क तारीख 1 जनवरी, 1969 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 दिसम्बर, 1969” श्रंको, और शब्द के स्थान पर “28 फरवरी, 1970” श्रंक, और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं. 164/एफ. सं. 5/108/69—सी. सु. 1-]

ज्योतिर्मय इस्त, उपसचिव।